सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 380 राँची, शुक्रवार, 19 ज्येष्ठ, 1938 (श०)

9 जून, 2017 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

संकल्प

8 जून, 2017

विषयः- **मद्य निषेध हेतु आमजनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य में ग्राम पंचायत अन्तर्गत "नशामुक्त ग्राम" घोषित करने हेतु नीति निर्देश, सिद्धान्त एवं प्रक्रिया निर्धारित करने के संबंध में ।**

संख्या-1/नीति-02/2016-1047-- "मद्यपान" मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है । अनेक दुर्घटनाओं का कारण बनने के साथ-साथ यह मनुष्य के नैतिक अवमूल्यन का भी कारण है । उच्च नैतिकता सम्पन्न व्यक्ति ही एक समृद्ध, विकसित एवं सौहार्दपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। राज्य की सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक विकास के लिए मद्यपान की प्रवृत्ति को सामाजिक स्तर पर हतोत्साहित किया जाना आवश्यक है । इसके निमित्त समाज में मद्यपान के विरूद्ध वृहत जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि राज्य के नागरिक मद्यपान से विमुख होकर विकास के पथ पर अग्रसर हों एवं राज्य भी प्रगति की नई ऊचाईयों को प्राप्त कर सके ।

राज्य सरकार की मंशा शनैः शनैः स्वप्रेरित नशाबन्दी की ओर अग्रसर होना है । समाज में गहराईयों तक जड़ जमा चुकी मद्यपान की कृप्रवृत्ति को केवल निरोधात्मक कानून से नहीं रोका जा सकता है । इसके लिए यह आवश्यक है कि समाज के सभी वर्ग मद्यपान एवं अन्य नशापान की कुप्रभाव से परिचित हों । पूर्ण नशाबन्दी सिर्फ जागरूक, शिक्षित एवं नैतिक स्तर पर सुशिक्षित समाज में ही सम्भव है ।

राज्य सरकार उन सभी ग्रामों को जहाँ पूर्ण रूपेण मद्यपान निषेध सफलीभूत हो, को प्रोत्साहित करने के लिए 1,00,000/-(एक लाख) रू० की पुरस्कार राशि देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह राशि ग्राम के विकास कार्यों में खर्च की जा सकती है । ऐसी ग्राम ''आर्दश ग्राम'' घोषित करने का सम्मान प्राप्त कर सकती है । युवाओं को ''कमल क्लब'' से जोड़क सामूहिक खेलकूद एवं सामाजिक उत्थान की दिशा में राज्य निर्माण के लिए उत्प्रेरित कर सकती है ।

उपर्युक्त वर्णित कार्यों को बल प्रदान करने के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा एक नीति-निर्देश, सिद्धान्त एवं प्रक्रिया का सृजन किया गया है । यह नीति-निर्देश, सिद्धान्त एवं प्रक्रिया ''नशामुक्त ग्राम'' घोषित करने हेतु ग्राम पंचायत को प्रोत्साहित करेगी । इसके कार्यान्वयन से जागरूक, शिक्षित एवं नैतिक स्तर पर सुशिक्षित समाज का निर्माण सम्भव हो सकेगा ।

विवेच्य नीति-निर्देश, सिद्धान्त एवं प्रक्रिया की मुख्य विशिष्टताएँ निम्नवत हैः-

1. किसी भी गाँव को नशामुक्त घोषित करने के लिए उस गाँव के मुखिया द्वारा संबंधित जिला के उपायुक्त अथवा जिला उत्पाद पदाधिकारी(सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद) के कार्यालय में लिखित प्रतिवेदन समर्पित करना होगा कि ''सम्बन्धित'' गाँव में मदिरापान करने वालों की संख्या शून्य है ।

2. ग्राम के मुखिया से प्राप्त प्रतिवेदन की जाँच स्थानीय समिति द्वारा की जाएगी। स्थानीय समिति में सम्बन्धित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पंचायत समिति के प्रतिनिधि, यदि महिला समूहों के प्रखण्ड/कलस्टर स्तरीय संगठन गठित है तो उसका अध्यक्ष/सचिव, सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद तथा स्थानीय थाना के पदाधिकारी रहेंगे । मुखिया द्वारा प्रतिवेदित गाँव में, स्थल जाँच के दौरान निम्नलिखित तथ्यों की जाँच करते हुये प्रतिवेदन जिला के उपायुक्त को समर्पित किया जाएगाः-

(i) विगत वित्तीय वर्ष में उत्पाद विभाग/पुलिस द्वारा अवैध शराब के विनिर्माण, संचय एवं बिक्री का मामला दर्ज नहीं किया गया हो । इस तथ्य की पुष्टि के लिये संबंधित स्थानीय थाना एवं अंचल उत्पाद अवर निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगा ।

(ii) विगत वित्तीय वर्ष में शराब पीकर मारपीट, दंगा-फसाद, खून-खराबा करने का मामला प्रकाश में नहीं आया हो। इसकी पुष्टि के लिये स्थानीय थाना का प्रतिवेदन जाँच दल द्वारा संलग्न किया जाएगा।

(iii) अन्य कोई बिन्दु जिसे जाँच दल के सदस्य, ''नशामुक्त गाँव'' घोषित करने के लिये आवश्यक समझें ।

(iv) जिला के उपायुक्त द्वारा प्रत्येक नशामुक्त गाँव को एक प्रमाण-पत्र दिया जाएगा जो निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा ।

3. प्रोत्साहन राशि संबंधित ग्राम सभा को, ग्राम सभा के बैंक खाते में संबंधित जिले के उपायुक्त के माध्यम से सरकार के आदेशोपरान्त उपलब्ध करायी जाएगी । नशामुक्त गाँव को प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जानेवाली राशि को ग्राम सभा द्वारा सम्बन्धित ग्राम के सर्वांगीण विकास पर खर्च किया जाएगा । प्रोत्साहन राशि का प्रावधान उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के बजटीय उपबन्ध में किया जाएगा एवं यह राशि जिला के उपायुक्त के माध्यम से गाँधी जयन्ती, स्वतंत्रता दिवस अथवा गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी ग्राम को उपलब्ध कराई जाएगी ।

4. प्रोत्साहन राशि में किये गये कार्यों का लेखा जोखा ग्राम स्तर पर संधारित किया जाएगा । इनके इन कार्यों का पर्यवेक्षण सम्बद्ध ग्राम पंचायत/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/उपायुक्त द्वारा किया जाएगा । सम्बद्ध उपायुक्त द्वारा किये जाने वाले कार्यों की स्वीकृति, अभिलेखों का संधारण, लेखा आदि के लिये ग्राम सभा द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अनुरूप मार्ग निर्देशिका जारी किये जायेंगे ।

5. प्रस्ताव पर विभागीय संलेख ज्ञापांक-948 दिनांक 24 मई, 2017 के प्रसंग में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 30 मई, 2017 (मद सं०-08) के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है ।

6. यह व्यवस्था तत्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से ,

अविनाश कुमार,
सचिव,
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 380--50